

संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अर्हता घारित करता हो। **नोट:**— समकक्ष अर्हता: वास्तुविद् अधिनियम-1972 की धारा-14 की अनुसूची के अनुसार विहित है। (ब) अधिमानी अर्हताएँ:— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **नोट:**— शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के विन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्यों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दियाग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में एच०एच०, आ०एल०, बी०एल०, डी०डब्ल्य०, ए०एल०१ उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावली** - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् सेवा नियमावली, 1992 **उ०प्र० आयुष (आयुर्वेद) विभाग** पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिकित्यों की संख्या— 36 विशिष्टतावार रिकित्यों की संख्या निम्नवत है:—	क्र०सं०	रीडर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या		---------	---------------------------------	--	--------------		1.	कायचिकित्सा	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अ०पि०वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/02		2.	कौमारमृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/03		3.	रचना शारीर	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/04		4.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/05		5.	द्रव्यगुण	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/06		6.	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद 02 लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/07		7.	रोग निदान	कुल पद 04 लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/08		8.	स्वास्थ्यवृत्ता	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/09		9.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/10		10.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/11		11.	शलाक्य तंत्र	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/12		12.	सहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/13	**पद का स्वरूप— समूह— 'क'**, राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु 67700-208700), आयु सीमा— न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) **शैक्षिक अर्हताएँ:**— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विशिष्टता परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय विकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दौ, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **नोट:**— सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोट:**— शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के विन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्यों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दियाग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में ओ०ए०, आ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्य०, ए०एल०१ उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावलियाँ**	• उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 • उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 **उ०प्र० आयुष (आयुर्वेद) विभाग** पद का नाम: प्रोफेसर (आचार्य), रिकित्यों की संख्या— 19 विशिष्टतावार रिकित्यों की संख्या निम्नवत है:—	क्र०सं०	प्रोफेसर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या		---------	---------------------------------	---	--------------		1.	कौमारमृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/14		2.	रचना शारीर	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/15		3.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/16		4.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/17		5.	शल्य तंत्र	कुल पद 03. लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/18		6.	शलाक्य तंत्र	कुल पद 03. लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/19		7.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 03. लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस-9/20	**पद का स्वरूप— समूह— 'क'**, राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु 78800-209200), आयु सीमा— न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) **शैक्षिक अर्हताएँ:**— (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विशिष्टता परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय विकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दौ, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **नोट:**— सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोट:**— शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के विन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्यों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दियाग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में केवल एल०सी०, आ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्य०, ए०एल०१ उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावलियाँ**	• उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 • उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 **प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र०** पद का नाम— निरीक्ष-राजकीय कार्यालय, कुल रिकित्यों की संख्या— 02 आरक्षणवार रिकित्यों की संख्या— लम्बवत् आरक्षण— अनुसूचित जाति-02, क्षैतिज आरक्षण— कोई रिकित नहीं। विभाग संख्या— सेवा-10/01, पद का स्वरूप— समूह— 'ख', राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल-

विज्ञान, विधि शास्त्र तथा विषय विज्ञान, शल्य क्रिया विज्ञान, स्त्री एवं प्रसूति रोग तथा सामुदायिक औषधि। क- अनिवार्य अर्हताएँ: होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता सहित सम्बन्धित विषय में सहायक आचार्य/ प्राच्यापक के रूप में डिग्री स्तरीय किसी होम्योपैथी महाविद्यालय में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव। उक्त अर्हता वही होगी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सन्मिलित हो। ख- अधिमानी अर्हता: (एक) मौलिक अनुसंधान पद्वां का प्रकाशन (दो) सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्था में अनुसंधान का अनुभव।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मात्र नहीं होगा। सहायक आचार्य/ प्राच्यापक का मौलिक विभाग में नियुक्ति के समय का ही अनुभव मात्र होगा।

नोट- शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मात्र नहीं होगा। सहायक आचार्य/ प्राच्यापक का मौलिक विभाग में नियुक्ति के समय का ही अनुभव मात्र होगा।

नोट- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के विन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्मर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल ओ०एल, ए०००वीं उपश्रेणी के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य होम्योपैथिक विकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990
- उत्तर प्रदेश राज्य होम्योपैथिक विकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017

उ०प्र० आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम- प्रोफेसर (आचार्य), रिक्तियों की संख्या- 03

विशेषज्ञतावार रिक्तियों की संख्या नियन्त्रित है:-

क्र०स०	प्रोफेसर (स्पेशियलिस्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या
1.	निस्वौं व कवलत	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण - कोई रिक्ति नहीं	सेवा-11/10
2.	इल्मुल अतफाल	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण - कोई रिक्ति नहीं	सेवा-11/11
3.	तशरीहुल बदन	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण - कोई रिक्ति नहीं	सेवा-11/12

पद का स्वरूप- समूह- क' राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78800- 209200/-), आयु सीमा- न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापक ना 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाध्याय के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या कारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (चौथा) अधिमानी- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'वी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मात्र नहीं होगा।

नोट- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के विन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्मर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल ओ०एल, ए०००वीं, ए००००वीं उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008.

उ०प्र० आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम- प्राच्यापक अरबी, विभाग संख्या- सेवा-11/13, कुल रिक्तियों की संख्या- 01, आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण - कोई रिक्ति नहीं, पद का स्वरूप- समूह- रु० राजपत्रित, वेतनमान- लेवल-10 वेतनबैंड- 56100-177500/-, आयु सीमा- 25 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापक ना 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाध्याय के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या कारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (चौथा) अधिमानी- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'वी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मात्र नहीं होगा।

नोट- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के विन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्मर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल ओ०एल, ए०००वीं, ए००००वीं उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008.

उ०प्र० आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम- प्राच्यापक अरबी, विभाग संख्या- सेवा-11/13, कुल रिक्तियों की संख्या- 01, आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण - कोई रिक्ति नहीं, पद का स्वरूप- समूह- रु० राजपत्रित, वेतनमान- लेवल-10 वेतनबैंड- 56100-177500/-, आयु सीमा- 25 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापक ना 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाध्याय के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू का कार्यसाधक ज्ञान। (चौथा)

on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS

✓ All Notification / Advertisements

- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

✓ Candidate Registration

✓ Fee Deposition / Reconciliation

✓ Submit Application Form

✓ Modify Submitted Application

✓ Candidate Dashboard (OTR Based)

- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

✓ Double Verification mode

✓ View Application Status

✓ Download Admit Card

✓ Print Duplicate Registration Slip

✓ Print Detailed Application Form

✓ List of Applications Having ANY Objections

✓ View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिणाम-पत्र

उम्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय- समय पर सशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य बैठन भागी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सूबोन्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छह सोमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रारूप-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम:

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिस्मृति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए नाम्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ग्राम/ करवा पोस्ट ऑफिस/ शाना तहसील जिला

के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्राणित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिस्मृति नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा

इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के

सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का
पासपोर्ट साइज
का अभिप्राणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रारूप-II)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र
स्वयं घोषण पत्र

मै पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/करवा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एवं उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

1. मै जाति से सम्बन्ध रखता/ रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रीमती (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिस्मृति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर रिक्त परिस्मृतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिस्मृतियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से कोई भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा

इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

(with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(showing face only) of
the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri

Date of birth (DD/MM/YY)

age years, male/female

Registration No. permanent resident of House

No. Ward/Village/ Street Post Office

District State whose

photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		

the Certificate)		Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability		
Certificate No.		Date:		
<p>This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____.</p> <p>Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:</p>				
S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			
(Please strike out the disabilities which is not applicable)				
2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.				
3. Reassessment of disability is:-				
<ul style="list-style-type: none"> (i) not necessary, or (ii) is recommended/after.....years.....months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY) <p>@ - e.g. Left/right/both arms/legs # - e.g. Single eye/both eyes £ - e.g. Left/Right/both ears</p>				
4. Signature and seal of the Medical Authority.				
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson		
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)			
<p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वर्तन्त्रता संग्राम सेनानीयों के अधिकारी और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वर्तन्त्रता संग्राम सेनानी के अधिकार के प्रमाण-पत्र का प्राप्ति।</p> <p>प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती निवासी ग्राम-..... नगर-..... ज़िला-..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वर्तन्त्रता संग्राम सेनानीयों के अधिकारी और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वर्तन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आधिकार) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री की पुत्री) (यिवाहित अथवा अविवाहित) उपराकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधिकों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वर्तन्त्रता संग्राम सेनानी) के आधिकार हैं।</p> <p>स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील)</p> <p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उप्र. के मूल निवासी हैं</p> <p>शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985</p> <p>प्रमाण-पत्र के कार्म - 1 से 4</p> <p>प्रारूप - 1</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में</p>				
<p>बाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।</p> <p>उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संरक्षा का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p>प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।</p> <p>उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संरक्षा का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p>प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र उन ऑफ स्पोर्ट्स अध्यार्थ इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संरक्षा का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p>प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संरक्षा का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।</p> <p>परिशिष्ट-2 प्रशासनिक सुधार विभाग, उठप्र के अन्तर्गत निरीक्षक-राजकीय कार्यालय पद हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप। अनुभव प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र / पुत्री / पत्नी वर्तमान पदनाम कार्यालय में दिनांक से आज दिनांक तक वर्तमान सेवा में मौजिक रूप से कार्यरत हैं। दिनांक से दिनांक तक इनके द्वारा घारित पद एवं सेवा विशुद्ध रूप से राजकीय एवं लिपिकीय है। श्री कार्यालय के मौजिक एवं स्थायी कर्मचारी हैं तथा वर्तमान वेतन मैट्रिक्स लेवल वेतनमान पर कार्यरत हैं। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर। (पदनाम मुहर सहित)</p>				
सचिव				